प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त उप निदेशक मत्स्य/
समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– /नियो0शा0/16–19(6)/2021–22 दिनांक – 16 जुलाई, 2021

**विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आनलाइन आवेदन पुनः प्रारम्भ किये जाने के संबंध में विज्ञापन का प्रकाशन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 से एक नयी योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना जिसकी गाइडलाइन्स आपको पूर्व में उपलब्ध करायी जा चुकी है, के अन्तर्गत मत्स्य विकास की विभिन्न उप योजनाएं संचालित की जा रही है जिनमें लाभार्थीपरक योजनाओं के अन्तर्गत शासकीय अनुदान का लाभ जन–जन तक पहुंचाने हेतु आपको एक सांकेतिक विज्ञापन प्रारूप विभागीय पोर्टल http://fymis.upsdc.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट http://fisheries.upsdc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सन्दर्भित योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए विभागीय पोर्टल पर दिनांक 03.12.2020 से 31.12.2020 तक आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। **वित्तीय वर्ष 2021–22 में उक्त योजना के अन्तर्गत इच्छुक आवेदकों को एक अवसर उपलब्ध कराने हेतु पुनः आनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए दिनांक 20.07.2021 से दिनांक 31.07.2021 तक पोर्टल खोला जा रहा है।**

आपको निर्देशित किया जाता है कि संक्षिप्त विज्ञापन जिसमें जनपद के लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए जनपद के दो लोकप्रिय समाचार–पत्रों में न्यूनतम धनराशि के अन्तर्गत प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें जिसमें निम्नांकित अंश अवश्य समाहित किये जाये–

1– योजनान्तर्गत समूह (क्लस्टर) में परियोजनाओं को संचालित करने हेतु चयन की कार्यवाही की जायेगी।

2– चयनित विकासखण्डों का उल्लेख करते हुए अवगत कराया जाये कि कुल लक्ष्य का 70 प्रतिशत चयनित विकासखण्ड में 30 प्रतिशत जनपद के अन्य विकासखण्डों में योजना संचालित की जायेगी।

3– लक्ष्य एवं परियोजनाओं के आवंटित लक्ष्य सांकेतिक एवं न्यूनतम है, जनसामान्य अन्य परियोजनाओं हेतु भी आवेदन कर सकते है।

4– निजी लाभार्थी हेतु तालाब निर्माण के लिए 02 हेक्टेयर तक की सीलिंग निर्धारित है। स्वयं अथवा पट्टे की भूमि के अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5– आवेदनकर्ता को इच्छुक परियोजना हेतु आनलाइन आवेदन विभाग के पोर्टल http://fymis.upsdc.gov.in पर करना होगा तथा आवेदन–पत्र भरने के साथ अपना फोटो, आधार

कार्ड की फोटोप्रति रूपये 100 के स्टाम्प पर निर्धारित शपथ–पत्र के साथ अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6– लाभार्थी का चयन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर किया जायेगा व सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा पर के लाभार्थियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

7– सामान्य वर्ग को निर्धारित परियोजना लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत व महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान योजना में देय है।

8– योजना से सम्बन्धित विस्तृत विज्ञापन/गाइडलाइन्स विभागीय पोर्टल http://fymis.upsdc.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट http://fisheries.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित है जिसका अवलोकन किया जा सकता है अथवा मत्स्य विभाग के जनपदीय कार्यालय से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उक्तानुसार एवं आवश्यकतानुसार विज्ञापन न्यूनतम धनराशि के व्यय के आधार पर संलग्न सूचना के माध्यम से कराया जायेगा।

(एस0के0सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।

**पत्रांकः 1042/नियो0शा0/16–19(6)/2021–22 दिनांकः उक्त।**

प्रतिलिपि– श्री अंशुमान सिंह पवार, वरिष्ठ सहायक, मुख्यालय को पत्र विभागीय वेबसाइट एवं http://fymis.upsdc.gov.in पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

2– मार्ग साफ्टवेयर लिमिटेड, सप्रू मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु साफ्टवेयर के सम्बन्धित योजना के सेग्मेन्ट को खोलने का कष्ट करें।

3– प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को अप्ट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर (समता मूलक चौराहा) को इस आशय से प्रेषित कि आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु साफ्टवेयर के सम्बन्धित योजनाओं के सेग्मेन्ट को खोलने का कष्ट करें।

16/7/2021

(एस0के0सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।